मध्यप्रदेश बोर्स्टल नियम, 1960[1]

1. संस्थाओं का प्रबन्ध और विनियमन
2. कारागार महानिरीक्षक की शक्तियाँ और कर्त्तव्य
3. बोर्स्टल संस्थाओं का शासन और अधिकारियों की नियुक्ति, मार्ग दर्शन, नियन्त्रण दण्ड और बर्खास्तगी तथा उनके दायित्व, कर्त्तव्य, असमर्थता और शक्तियाँ
4. अभिलेखों का अनुरक्षण और रिपोर्टो की प्रस्तुति
5. अन्तःवासी अधिकारियों के रूप में अन्तःवासियों का चुनाव और नियुक्ति
6. अन्तःवासी अधिकारियों को दण्ड, बर्खास्तगी ओर अवनति
7. अन्तःवासी अधिकारियों के कर्त्तव्य और शक्तियाँ
8. अन्तःवासियों का अस्थायी निरोध
9. अन्तःवासियों का प्रवेश. हटाया जाना और उनुक्त किया जाना तथा उनके प्रभावों का निपटारा
10. अंतःवासियों की अभिरक्षा. अनुशासन, श्रेणीकरण, बर्ताव और नियन्त्रण-अंतःवासियों की, निम्नलिखित श्रेणियां होंगी
11. अन्तःवासियों का भोजन, वस्त्र और बिस्तर
12. अन्तःवासियों की शिक्षा
13. अंतःवासियों का नियोजन और उनके श्रम के आगमों का व्ययन-
14. बीमार अंतःवासियों का उपचार
15. बोर्स्टल अपराध और उनका मुख्य और गौण अपराधों में वर्गीकरण
16. अपराधों के लिए दण्ड
17. जहां किसी कार्य द्वारा दोनों, बोर्स्टल और भारतीय दण्ड संहिता के अधीन का अपराध गठित होता हो, उनके बचतने की प्रक्रिया
18. अंकों का दिया जाना
19. निरोध की कालावधि में कमी किया जाना
20. आयुधों और बेड़ियों का प्रयोग
21. मृत्यु के खतरे में अन्तःवासियों की निर्मुक्ति
22. अन्तःवासियों का अन्तरण
23. सामग्रियों का, जो प्रतिषिद्ध है. परिचय और हटाया जाना
24. सदाचरण के लिए पुरस्कार
25. अन्तःवासियों का अस्पताल आदि को अन्तरण
26. आपराधिक पागलों का उपचार इत्यादि
27. अन्तःवासियों से अपीलों और अर्जियों का पारेषण और उनके रिश्तेदारों तथा मित्रों से उनका पत्र-व्यवहार
28. परिदर्शक समितियों की नियुक्ति तथा पदावधि
29. पैरोल अधिकारियों की नियुक्ति शक्तियां और नियंत्रण

30. परिदर्शक समिति की शक्तियाँ और कर्त्तव्य-

31. सामान्य अवकाश

32. निरसन

- नरसिंहपुर बोर्स्टल संस्थान के वासियों को लायसेंस पर रिहा करने संबंधी निर्देश1
- प्रपत्र “ए” - म. प्र. बोर्स्टल विधि, 1928 की धारा 14 के अन्तर्गत बोर्स्टल संस्थान के वासियों को अनुज्ञप्ति पर मुक्त करने सम्बन्धी परिपत्र

मध्यप्रदेश बोर्स्टल नियम, 1960[1]

नरसिंहपुर बोर्स्टल संस्था के अन्तःवासियों की अनुज्ञप्ति पर निर्मुक्ति के सम्बन्ध में निर्देश

क्र. 20-तीन-जेल-मध्यप्रदेश बोर्स्टल अधिनियम, 1928 (1928 का 9) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार बोर्स्टल संस्थानों के विनियमन प्रबन्ध और और के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, वे उक्त धारा द्वारा यथा अपेक्षित पूर्व में प्रकाशित हो चुके हैं, अर्थात

नियम 1. संस्थाओं का प्रबन्ध और विनियमन- कारागार के महानिरीक्षक के आदेशों के अध्यधीन रहते हुए, बोर्स्टल संस्थाओं का विनियमन और प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधीक्षक में निहित रहेगा ।

नियम 2. कारागार महानिरीक्षक की शक्तियाँ और कर्त्तव्य- राज्य सरकार के आदेशों के अध्यधीन रहते हुए, कारागार महानिरीक्षक बोर्स्टल संस्थाओं पर सामान्य नियन्त्रण और अधीक्षण, सेंट्रल प्रोविन्सेज एण्ड बरार जेल मैन्युअल, जिल्द एक, भाग-दो, अध्याय-नौ, धारा 1 में दिए गए नियमों के वहां तक के सिवाय जहां तक कि वे मध्यप्रदेश बोर्स्टल अधिनियम, 1928 के असंगत हो, अनुसार करेगा ।

नियम 3. बोर्स्टल संस्थाओं का शासन और अधिकारियों की नियुक्ति, मार्ग दर्शन, नियन्त्रण दण्ड और बर्खास्तगी तथा उनके दायित्व, कर्त्तव्य, असमर्थता और शक्तियाँ- (क) निदेशक स्वास्थ्य तथा जिला मजिस्ट्रेट बोर्स्टल संस्थाओं के शासन में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जैसे सेंट्रल प्रोविन्सेज एण्ड बरार जेल मैन्युअल के नियमों 255, 259 से 263 में दिए गए हैं, वहां तक के सिवाय जहां तक कि वे मध्यप्रदेश बोर्स्टल अधिनियम 1928 से असंगत हों |

(ख) सेंट्रल प्रोविंसेज एण्ड बरार जेल मैन्युअल के जेलरों से सम्बन्धित नियम उप-जेलरों सहायक अधीक्षकों को तथा वे जो सहायक जेलर से सम्बन्धित हैं बोस्टल संस्थाओं के स्कूल शिक्षकों शारीरिक शिक्षकों तथा स्टोर कीपरों को लागू होंगे, सिवाय जहां तक कि मध्यप्रदेश बोर्स्टल अधिनियम, 1928 से असगत न हो ।

(ग) बोस्टल संस्थाओं के अधीक्षक और अन्य अधिकारी रनेन्हल प्रोविननेज एण्ड बरार जेल मैन्युअल जिल्द एक के अध्याय-नौ में दिए गए नियमों के, वहां तक के सिवाय जहाँ तक कि वे मध्यप्रदेश बोर्स्टल अधिनियम, 1928 से अंसगत हों, अध्यधीन होंगे

(घ) सुरक्षा और सुरक्षा बन्धपत्रों से सम्बन्धित नियम जैसे सेण्ट्रल प्रोविन्सेज एण्ड बरार जेल मैन्युअल के अध्याय-नौ की धारा 19 में दिए गए हैं तथा वर्दी, साज-सज्जा, आयुध आपूर्ति और सैनिक प्रशिक्षण से सम्बन्धित नियम जैसे उक्त मैन्युअल के अध्याय-बीस में दिये गये हैं, सिवाय वहां तक के जहां तक कि वे बोर्स्टल अधिनियम, 1928 के असंगत हों, उसी प्रकार बोर्स्टल संस्थाओं पर लागू होंगे |

1. यह नियम म. प्र. राजपत्र भाग 4 (ग) में दिनांक 4 मार्च, 1962 को प्रकाशित होकर लागू हुए हैं ।

नियम 4. अभिलेखों का अनुरक्षण और रिपोर्टो की प्रस्तुति- बोस्टल संस्थाओं के अभिलेख कारागार अधिनियम की धारा 12 और सेन्ट्रल प्रोविन्सेज एण्ड बरार मैन्युअल के नियमों 801 और 803 से 808 के उपबन्धों के अनुसार बनाये रखे, जायेंगे । रिपोर्टो तैयारी और प्रस्तुति, सिवाय वहां तक जहां तक कि वे मध्यप्रदेश बोर्स्टल अधिनियम, 1928 से असंगत हों, सेंट्रल प्रोविन्सेज एण्ड बरार मैन्युअल के नियमों 136, 187,289, 302, 334, 488, 542, 882, 1008, 1084 तथा 1085 द्वारा शासित होगी ।

नियम 5. अन्तःवासी अधिकारियों के रूप में अन्तःवासियों का चुनाव और नियुक्ति-
(क) अंत:वासी अधिकारीयों का चुनाव विशेष स्टार श्रेणी के अन्तःवासियों में से किया जायेगा । चुनाव अन्तःवासियों के सामान्य व्यवहार, अनुशासन के प्रति उनकी विनेयता और अनुदेशों पर शैक्षणिक तथा औद्योगिक दोनों, दिये गये ध्यान पर विशेष रूप से विचार करते हुए, नजदीकी व्यक्तिगत अवलोकन द्वारा विनियमित होगी;

(ख) अन्त:वासी अधिकारी विभिन्न क्षमताओं में मानीटर के रूप में कार्य कर सकेंगे, और परेडों में, कार्यशालाओं में, या मनोरंजन कक्षों में और अन्य स्थितियों में जहां वे प्रशासन की विभिन्न तरीके से सहायता कर सकें अन्य अन्तःवासियों पर प्राधिकारी के रूप में रखे जा सकेंगे ।

नियम 6. अन्तःवासी अधिकारियों को दण्ड, बर्खास्तगी ओर अवनति- अन्तःवासी अधिकारियों को दण्ड, अवनति और बर्खास्तगी, सेन्हल प्रोविन्सेज एण्ड बरार जेल मैन्युअल के भाग-दो के अध्याय सत्तरह में दिए गए नियमों, वहां तक के सिवाय जहां तक कि वे मध्यप्रदेश बोर्स्टल अधिनियम, 1928 के असंगत हो, द्वारा शासित होंगे ।

नियम 7. अन्तःवासी अधिकारियों के कर्त्तव्य और शक्तियाँ- अन्त:वासी अधिकारियों के कर्तव्य और शक्तियां सेन्ट्रल प्रोविन्सेज एण्ड बरार जेल मैन्युअल की जिल्द एक के भाग-दो के अध्याय सत्तरह में दिए गए नियमों, वहां तक के सिवाय जंहा तक कि वे मध्यप्रदेश बोर्स्टल अधिनियम, 1928 से असंगत हों, द्वारा शासित होंगे ।

नियम 8. अन्तःवासियों का अस्थायी निरोध- किसी जिले में दोषसिद्ध किशोर स्थानीय जेल में निरूद्ध किया जायेगा जब तक कि उसके किसी बोर्स्टल संस्था में प्रवेश की व्यवस्था की जाती है ।

नियम 9. अन्तःवासियों का प्रवेश. हटाया जाना और उनुक्त किया जाना तथा उनके प्रभावों का निपटारा- अन्तःवासियों के प्रवेश, उन्हें हटाये जाने तथा उन्मुक्ति, सेन्ट्रल प्रोविन्सेज एण्ड बरार जेल मैन्युअल सृजन की जिल्द एक के भाग-दो अध्याय-चौबीस में दिए गए नियमों द्वारा, वहां तक के सिवाय जंहा तक कि वे मध्यप्रदेश बोर्स्टल अधिनियम, 1928 के असंगत हों, शासित होंगे ।

नियम 10. अंतःवासियों की अभिरक्षा. अनुशासन, श्रेणीकरण, बर्ताव और नियन्त्रण-अंतःवासियों की, निम्नलिखित श्रेणियां होंगी-

(एक) साधारण श्रेणी ।

(दो) स्टार श्रेणी ।

(तीन) विशेष स्टार श्रेणी |

(चार) दण्ड श्रेणी ।

प्रत्येक अनुवर्ती श्रेणी के विशेषाधिकार उसके श्रेणी से उच्चत्तर होंगे । सभी अन्त:वासी के प्रवेश के समय साधारण श्रेणी में रखे जावेंगे पदोन्नति अन्तःवासियों के सामान्य व्यवहार, अनुशासन के प्रति उनकी विनेयता और शैक्षणिक तथा औघोगिक दोनों ही प्रकार के अनुदेशों पर दिए गए ध्यान पर विशेष रूप से विचारण करते हुए, नजदीकी व्यक्तिगत अवलोकन द्वारा विनियमित होगी ।

(एक) **साधारण श्रेणी-** अन्तःवासी कम से कम छ: मास तक साधारण श्रेणी में रहेगा जिसके दौरान वह घरेलू सेवा, बागवानों और खेती में नियोजित किया जायेगा । इस कालावधि के दौरान स्टाफ द्वारा उसके चरित्र, मानसिक वृत्ति और किसी कार्य व्यापार के लिए उसकी उपयुक्तता के विशेष सन्दर्भों में उसका ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जायेगा । वह इस कालावधि दौरान सद्व्यवहार के अध्यधीन प्रतिमाह शनिवार को खेलों में भाग लेने को और एक पत्र लिखने और प्राप्त करने को तथा एक साक्षात्कार करने को अनुज्ञात किया जायेगा ।

(दो) स्टार श्रेणी- स्टार श्रेणी में पदोन्नति अधीक्षक द्वारा किए गए चुनाव द्वारा होगी, इस प्रकार पदोन्नत किया गया अन्तःवासी उसकी निजी रूचि और दक्षता के कार्य व्यापार में लगाया जायेगा । जब इस श्रेणी में हों, तो अन्तःवासी सप्ताह में दो बार खेलों में सम्मिलित होने को, पथ- प्रदर्शन पर स्टाफ के सदस्यों के साथ जाने को प्रतिमास एक पत्र लिखने और प्राप्त करने को तथा एक साक्षात्कार करने को और अनुकरणीय आचरण द्वारा त्रिमास एक रूपये की बैज मनी अर्जित करने का अनुज्ञात किए जायेंगे । स्टार श्रेणी के अंतःवासियों को दी गई बैज मनी उनके द्वारा अधीक्षक द्वारा अनुमोदित सामग्री पर खर्च की जा सकेगी या उनके रिश्तेदारों को भेजी जा सकेगी या स्थानीय सेविंग बैंक में निवेषित की जा सकेगी ।

(तीन) विशेष स्टार श्रेणी- जब, उसके सामान्य रंग ढंग और क्षमताओं के नजदीकी अवलोकन द्वारा अधीक्षक संतुष्ट हो जाए कि स्टार श्रेणी का अन्तःवासी सुरक्षित रूप से विशेष न्यास की स्थिति में रखा जा सकता है, वह विशेष स्टार श्रेणी में पदोत्रत किया जा सकेगा । ऐसा अन्तःवासी एक भिन्न ड्रेस पहनेगा । वे प्रतिदिन खेलों में भाग लेने को और अतिरिक्त भित्ति खेल मैदान (एक्स्ट्रा म्यूरल प्ले ग्राउंड) पर स्कूल मैचों में भाग लेने को; मार्ग-दर्शन के लिए स्टाफ के सदस्यों के साथ जाने को; प्रतिमाह एक पत्र लिखने और प्राप्त करने को और एक बार साक्षात्कार करने का; तथा आचरण द्वारा त्रिमास में तीन रूपये पद राशि अर्जित करने को अनुशात किये जायेंगे । स्टार श्रेणी के अन्तःवासियों को दी गई पद राशि अधीक्षक द्वारा अनुमोदित सामग्रियों पर उनके द्वारा खर्च की जा सकेगी या उनके रिश्तेदारों को भेजी जा सकेगी या स्थानीय सेविंग बैंक में निवेषित की जा सकेगी ।

(चार) दण्ड श्रेणी- जब किसी अन्तःवासी द्वारा गलत प्रभावों के प्रयोग करने का विश्वास हो या किसी दुराचरण का दोषी हो वह अधीक्षक द्वारा ऐसी कालावधि के लिए, जैसी अधीक्षक स्वयं अन्त:वासी या अन्य अन्तःवासियों के हित में आवश्यक समझे, दण्ड श्रेणी में रखा जायेगा । अब इस श्रेणी में हो, अन्त:वासी पृथक में कठोर और श्रम साध्य कार्य में नियोजित किया जायेगा और सभी विशेषाधिकार अधिकृत होंगे । अधीक्षक उसकी दैनिकी में दण्ड श्रेणी में रखे गये प्रत्येक अन्तःवासी के मामले की विशिष्टयां, ऐसे आदेश के कारणों और कालावधि जिसके दौरान कि वह अन्त-वासी उस श्रेणी में रहेगा, के सहित, अभिलिखित करेगा । किसी भी मामले में कोई अन्तःवासी तीन मासों से लम्बी कालावधि के लिए कारागार के महानिरीक्षक की विशेष मंजूरी के बिना दण्ड श्रेणी में नहीं रखा जायेगा ।

अपवाद- यदि दुराचरण का दोषी अन्तःवासी स्टार या विशेष स्टार श्रेणी का सदस्य है तो अधीक्षक, यदि उचित समझे कि मामले की परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि उसे दण्ड श्रेणी में ही रखा जाए, उसे

साधारण श्रेणी में रख सकेगा ।

नियम 11. अन्तःवासियों का भोजन, वस्त्र और बिस्तर- सभी अन्तःवासियों को खुराक सेन्ट्रल प्रोविन्सेज एण्ड बरार जेल मैन्युअल जिल्द एक के भाग-दो के अध्याय दस की धारा 1 में दिये गये मानों के अनुसार दी जायेगी । उनके वस्त्र और बिस्तर निम्न प्रकार होंगे-

दण्ड श्रेणी	साधारण श्रेणी
नीली टोपी	खाकी टोपी
नीली जैकेट	खाकी जैकेट
नीली नेकर	खाकी नेकर
नीली लंगोटी	सफेद लंगोटी
साधारण कम्बल	साधारण कम्बल
(एक या अधिक)	(एक या अधिक)
क्वायरमैट	एलायमैट

स्टार श्रेणी

जैकेट के दाहिने वक्षस्थल पर पीतल के स्टार सहित, जैसी साधारण श्रेणी वालो की है ।

विशेष स्टार श्रेणी

सफेद टोपी	सफेद तौलिया
सफेद जैकैट	कम्बल (एक या अधिक)
सफेद नेकर	सूती चादर
सफेद लंगोटी	कोरामैट

नियम 12. अन्तःवासियों की शिक्षा- (क) अन्तःवासियों की ड्रिल और शारीरिक व्यायाम अर्हता प्राप्त अनुदेशक के पर्यवेक्षण में परिचालित किए जायेंगे ।

(ख) साहित्यिक अनुदेश अन्तःवासियों की भाषा में दिए जायेंगे और पढने, लिखने और अंकगणित के तत्वों तक सीमित होंगे । शैक्षणिक खण्ड का वार्षिक रूप से शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जायेगा और प्रत्येक कक्षा की उसके द्वारा परीक्षा की एक रिपोर्ट कारागारों के महानिरीक्षक को प्रस्तुत की जायेगी ।

(ग) नैतिक अनुदेश जहां तक सम्भव सके अन्त-वासी को रविवार को व्यक्तियों द्वारा या कारागारों के महानिरीक्षक द्वारा अनुमोदित मानव व्याख्याताओं द्वारा दिये जायेंगे ।

नियम 13. अंतःवासियों का नियोजन और उनके श्रम के आगमों का व्ययन- (क) अन्त:वासियों को ऐसे (उद्योग) जैसे कि अधीक्षक कारागारों के महानिरीक्षक के अनुमोदन से, उपयुक्त समझे, विशेष रूप से प्रशिक्षित अनुदेशकों के मार्ग-दर्शन के अधीन सिखाये जायेंगे ।

(ख) औद्योगिक संक्रिया की दशा में उद्योगों को निदेशक तथा कृषि संक्रियाओं की दशा में कृषि निदेशक उनके अपने विभागों के अधिकारियों को बोर्स्टल संस्थाओं का समय-समय पर निरीक्षक करने के प्रति नियुक्त करेंगे और कारागारों के महानिरीक्षक को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।

(ग) विशिष्ट उद्योग पर विनिश्चय करते समय जो किसी अन्तःवासी को सिखाया जाना हो, अन्त:वासी का पूर्वगामी प्रशिक्षण, उसकी सामाजिक परिस्थिति, उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं तथा रूचि का ध्यान रखेगा ।

(घ) शैक्षणिक खण्ड और कार्यशालाओं में अनुदेशक प्रत्येक अन्त:वासी द्वारा की गई प्रगति दर्शित करने वाला रजिस्टर बनाए रखेगा । ये रजिस्टर माह में एक बार अधीक्षक को पेश किए जायेंगे ।

(ड) अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से कार्य की किस्म, जो प्रत्येक अन्तःवासी द्वारा सम्पादित किया जाना हो, का पर्यवेक्षण करेगा । बोर्स्टल संस्था में विनिर्मित सामग्री बाजार दरों पर बेची जायेगी और आगम सरकार को जमा किए जायेंगे । सभी अन्त:वासी, बशर्ते कि वे चिकित्सीय रूप से उपयुक्त हों प्रत्येक कार्य दिवस की साढे सात घण्टे श्रम करने को अपेक्षित होंगे । साधारण स्टार और विशेष स्टार श्रेणी के लिए दिन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में होगा-

1 मार्च से 15 जुलाई

खोले जाने का समय 5-30 प्रात:	प्रात: भोजन, शौच, परेड इत्यादि ।
6.30 से 7.00	ड्रिल ।
7.00 से 7.30	श्रम, औजारों, सामग्रियों आदि का वितरण ।
7.30 से 9.30	कार्य व्यापार या अनुरक्षण कर्तव्यों पर संस्था कार्य ।
9.30 से 11.00	स्कूल ।
11.00 से 2.30 मध्यान्ह	दोपहर का भोजन, स्नान और विश्राम ।
2.30 से 5.00	कार्य ।
5.00 से 5.30	शौच, परेड आदि ।
5.30 से 6.30	खेल और स्नान ।
6.30 से 7.30	संध्या भोजन ।
7.30 से 9.00	स्कूल, पढ़ाई और भीतरी खेल ।
कार्य के घण्टों की संख्या	साढ़े चार ।
स्कूल के घण्टों की संख्या	तीन ।

16 जुलाई से फरवरी के अन्त तक

खोले जाने का समय 6.00	प्रात: प्रात: भोजन, शौच इत्यादि ।
7.00 से 7.30	ड्रिल
7.30 से 8.00	श्रम, औजारों, सामग्रियों आदि का वितरण |
8.00 से 10.30	कार्य व्यापार या अनुरक्षण कर्तव्य पर संस्था कार्य |
10.30 से 11.30	स्कूल |
11.30 से 1.30 मध्यान्ह	दोपहर का भोजन, स्नान और विश्राम |
1.30 से 4.00	कार्य |
4.00 से 5.00	खेल |

5.00 से 7.00	सायं भोजन, स्नान, शोच, परेड इत्यादि ।
7.00 से 8.00	स्कूल ।
कार्य के घण्टों की संख्या	पांच ।
स्कूल के घण्टों की संख्या	ढाई ।

नियम 14. बीमार अंतःवासियों का उपचार- -बीमार अन्तःवासियो का उपचार कारागार अधिनियम, 1894 के अध्याय-आठ में ऐसे बन्दियों के लिए, अन्तर्विष्ट उपबन्धों द्वारा, वहां तक के सिवाय जहां तक कि वे मध्यप्रदेश बोर्स्टल अधिनियम, 1928 से असंगत हों, शासित होगा ।

नियम 15. बोर्स्टल अपराध और उनका मुख्य और गौण अपराधों में वर्गीकरण- निम्नलिखित बोर्स्टल अपराध होंगे-

(1) बल्वा,

(2) लोक सेवक पर हमला,

(3) निकल भागना या निकल भागने में सहायता देना,

(4) गुदा मैथुन या गुदा मैथुन करने का प्रयत्न,

(5) आत्म-हत्या करने का प्रयत्न करना,

(6) स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना,

(7) अनुशासन और सदाचरण के विरूद्ध, ऐसे अपवादों सहित, जिनका प्रयोग अभियोजन द्वारा भारतीय दण्ड संहिता के अधीन किया जाना चाहिये, सभी अपराध ।

उपशीर्ष (1) से (6) में सम्मिलित अपराध और भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराध मुख्य बोर्स्टल अपराध होंगे वे जो उपशीर्ष (7) में सम्मिलित किये गये हैं, गौण बोर्स्टल अपराध होंगे ।

नियम 16. अपराधों के लिए दण्ड- (1) कारागार अधिनियम, 1894 और तद्धीन बनाये गये नियमों में विनिर्दिष्ट अपराधों के लिए बोर्स्टल संस्था के अन्तःवासी पर किए जाने वाले दण्ड, उक्त अधिनियम की धारा 46 के खण्ड (5) से (7), (10) और (11) तथा तत्सम्बन्धी नियमों में विनिर्दिष्ट हथकड़ी, बेड़ी मोटे वस्त्र और कोष्ठ परिरोध दण्ड के सिवाय, कारागार अधिनियम, 1894 और तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित दण्डों पर निर्बन्धित होंगे ।

परन्तु इस नियम की कोई बात उस धारा के खण्ड (8) के अधीन 14 दिवसों से अधिक के पृथक परिरोध को अनुज्ञापित करने वाली नहीं समझी जायेगी ।

(2) किसी अन्तःवासी पर कोई दण्ड अधीक्षक के सिवाय संस्थान के किसी अधिकारी द्वारा अधिनिर्णीत नहीं किया जायेगा ।

नियम 17. जहां किसी कार्य द्वारा दोनों, बोर्स्टल और भारतीय दण्ड संहिता के अधीन का अपराध गठित होता हो, उनके बचतने की प्रक्रिया- (1) जब अधीक्षक की राय में निम्नलिखित में से कोई अपराध किसी अंतवासी के विरूद्ध गठित हों तो वह मामले को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुसार जांच के लिए अधिकारिता का प्रयोग करने वाले मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट करेगा-

(क) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148 और 152 के अधीन दण्डनीय अपराध;

(ख) भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 212, 223 और 224 के अधीन दण्डनीय अपराध;

(ग) भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 304-क, 309, 325 और 326 के अधीन दण्डनीय अपराध;

(घ) अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय कोई अपराध ।

(2) किसी अन्य कार्य की बाबत् जिससे दोनों, बोर्स्टल अपराध और भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराध गठित होता हो, यह अवधारित करना अधीक्षक के विवेक में होगा कि क्या वह स्वयं की दण्ड की शक्तियों का प्रयोग करेगा या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुसार उसकी जाँच करने की अधिकारिता का प्रयोग करने वाले मजिस्ट्रेट को भेजेगा ।

नियम 18. अंकों का दिया जाना- (क) तत्परता और सदाचरण को प्रोत्साहित करने के लिए और एतदद्वारा अन्त:वासियों के मध्य अनुशासन को प्रोन्नति के लिए प्रतिदिन एक अंक आचरण और स्कूल कार्य के लिए तथा एक अंक व्यवहार के लिए दिए जाने की पद्धति बनाई जायेगी । अवकाश के दिनों में आचरण के लिए दो अंक अनुपात किए जायेंगे । शिक्षक और व्यवहार मास्टर, अंकों और पुरस्कारों के लिए एक रजिस्टर बनाये रखेंगे जिसमें दैनिक अंक और पुरस्कार अन्तवासियों के नामों के समक्ष अभिलिखित किए जायेंगे जिन्होंने उनका अर्जन किया हो ।

(ख) अन्तःवासी निम्नलिखित मान पर उसके द्वारा सप्ताह के दौरान प्राप्त किए गए प्रत्येक 13 अंकों के लिए और जो उसके अंत में भी उसके खाते में शेष रहे हों निम्नलिखित मान के अनुसार संगणित अनुग्रह का हकदार होगा-

दण्ड श्रेणी	6 नये पैसे
साधारण श्रेणी	9 नये पैसे
स्टार श्रेणी	12 नये पैसे
विशेष स्टार श्रेणी	16 नये पैसे

(ग) प्रत्येक सप्ताह के लिए न्यूनतम 10 अंक अन्तःवासी को नियम (ख) में दी गई रकम के आधे दिए जाने का हकदार बनायेंगे ।

(घ) अन्तःवासियों को इस प्रकार अर्जित धनराशि के एक-तिहाई भाग को मिठाइयों, खिलौने और संस्था नियमों द्वारा निषिद्ध न होने वाली अन्य सामग्री पर खर्च करने का विशेषाधिकार अनुज्ञात किया जायेगा । महामारी फैलने के समय मिठाइयाँ खरीदना अधीक्षक के विवेक पर निषिद्ध किया जा सकेगा ।

(ड.) शेष दो-तिहाई धनराशि नियम 10 (दो) और (तीन) के अधीन अर्जित पुरस्कारों के सहित अधीक्षक द्वारा स्थानीय सेविंग बैंक में जमा की जायेगी । कार्यालय में एक खाता प्रत्येक अन्तःवासी के नाम के लिए ऋणी और जमाकर्ता खातों का रखा जायेगा और प्रत्येक रविवारीय परेड के दिन उसे उसकी जमा रकम से सूचित किया जायेगा । डाकघर द्वारा अनुदत्त ब्याज रजिस्टर पर चढ़े हुए अन्तःवासियों के मध्य एक जुलाई को उनकी जमाओं की रकम के अनुपात में वितरित किया जायेगा ।

नियम 19. निरोध की कालावधि में कमी किया जाना- अन्तःवासियों के निरोध की कालावधि में कमी किया जाना मध्यप्रदेश जेल मैन्युअल के भाग-दो के अध्याय-ग्यारह में दिए गए दण्ड की माफी को विनियमित करने वाले नियमों द्वारा जहां तक वे मध्यप्रदेश बोर्स्टल अधिनियम, 1928 के प्रतिकूल न हों, शासित होंगे ।

नियम 20. आयुधों और बेड़ियों का प्रयोग- किसी अन्त:वासी या उसके शरीर के निरूद्ध आयुधों का प्रयोग तथा भागने या फरार होने का प्रयत्न करने की दशा में बेडियों का प्रयोग मध्यप्रदेश जेल मैन्युअल के भाग दो अध्याय-चार के नियमों 754 से 758 के द्वारा सिवाय जहां तक कि वे मध्यप्रदेश बोर्स्टल

अधिनियम, 1928 के प्रतिकूल न हो, शासित होगा ।

नियम 21. मृत्यु के खतरे में अन्तःवासियों की निर्मुक्ति- मृत्यु के खतरे में अन्तःवासियों की निर्मुक्ति, मध्यप्रदेश जेल मैन्युअल के भाग दो के अध्याय 4 में दिए गए नियमों द्वारा, सिवाय जहां तक कि वे मध्यप्रदेश बोर्स्टल अधिनियम, 1928 के प्रतिकूल न हों, शासित होगी ।

नियम 22. अन्तःवासियों का अन्तरण- अन्तःवासियों के एक राज्य से दूसरे राज्यों को अन्तरण जिनके निरोध की अवधि का लगभग अवसान होने वाला हो, मध्यप्रदेश जेल मैन्युअल अध्याय-तीन के नियमों 784, 785, 787, 790 द्वारा, सिवाय जहा तक कि वे मध्यप्रदेश बोर्स्टल अधिनियम, 1928 के प्रतिकूल न हों, शासित होगा ।

नियम 23. सामग्रियों का, जो प्रतिषिद्ध है. परिचय और हटाया जाना- सामग्रियों को जो सम्यक् प्राधिकार के बिना बोर्स्टल संस्था के भीतर या बाहर प्रतिषिद्ध है, परिभाषित करना, उनका परिचय देना और उनका हटाया जाना मध्यप्रदेश जेल मैन्युअल 570 से 573 के नियमों द्वारा, जहां तक कि वे मध्यप्रदेश बोर्स्टल अधिनियम, 1928 के प्रतिकूल न हों, शासित होगा ।

नियम 24. सदाचरण के लिए पुरस्कार- जो माफी पद्धति पर है, उनके अतिरिक्त, अन्तःवासियों को निम्नलिखित पर उपदान किया जायेगा-

(एक) **सदाचरण के लिए-** किसी अन्तःवासी को जो उसके निरोध के तारीख के आगामी माह के पहले दिन या वह तारीख जिसको कि वह अंतिम बार बोर्स्टल अपराध के लिए चेतावनी के सिवाय दण्डित किया गया था, से संगणित एक वर्ष की अवधि के लिए, कोई भी बोर्स्टल अपराध कारित नहीं करता है, इन नियमों के अधीन स्वीकार की जाने योग्य किसी अन्य उपदान के अतिरिक्त एक रूपया प्रतिवर्ष का उपदान अधिनिर्णीत किया जायेगा ।

(दो) **अतिरिक्त कार्य के लिए-** किसी अन्त:वासी को जो उसके लिए नियत किए गए से अधिक कार्य को करता है, उसके द्वारा अतिरिक्त रूप से सम्पादित प्रत्येक दिवस के अतिरिक्त कार्य के लिए बारह नये पैसे का उपदान मंजूर किया जायेगा किसी अन्त:वासी को इस नियम के अधीन एक माह में पचास नये पैसे से अधिक नहीं मिलेगा ।

(तीन) **कारागार सेवकों की भांति के कार्य के लिए-** कारागार सेवा में नियोजित अन्तःवासी को जो रविवारों और कारागारों अवकाशों में कार्य करता है, इन नियमों में स्वीकार योग्य अन्य किसी उपादान के अतिरिक्त बारह नये पैसे प्रतिदिन का उपादान अनुज्ञात किया जायेगा ।

(चार) **रात्रि चौकीदार के रूप में कार्य के लिए-** रात्रि चौकीदार के रूप में नियोजित अन्तःवासी को यदि वे अधिक के पूर्व सन्तोषप्रद रूप में कार्य करते हैं, उन्नीस नये पैसे प्रतिमास की दर से उपादान मंजूर किया जायेगा, जो मध्यप्रदेश जेल मैन्युअल जिल्द एक के नियम 752 में दी गई रीति में आहरित किया जायेगा ।

नियम 25. अन्तःवासियों का अस्पताल आदि को अन्तरण- एक बोर्स्टल संस्था से दूसरी को या अस्पताल या शरणालय को और बोर्स्टल संस्था से कारागार को या कारागार से बोर्स्टल संस्था को अन्तरण, मध्यप्रदेश जेल मैन्युअल के नियम, 791 से 801 और 803 से 813 जहां तक कि वे मध्यप्रदेश बोर्स्टल अधिनियम, 1928 के प्रतिकूल न हों, से शासित होंगे ।

नियम 26. आपराधिक पागलों का उपचार इत्यादि- आपराधिक पागलों या प्रत्युद्धत आपराधिक पागलों का उपचार, अन्तरण और निपटारा, मध्यप्रदेश जेल मैन्युअल में दिए गए नियमों, 873 से 898 सिवाय जहां तक कि मध्यप्रदेश बोर्स्टल अधिनियम; 1928 के प्रतिकूल न हों, शासित होगा ।

नियम 27. अन्तःवासियों से अपीलों और अर्जियों का पारेषण और उनके रिश्तेदारों तथा मित्रों से उनका पत्र-व्यवहार- अन्तःवासियों से अपील और अर्जियों का पारेषण तथा उनका उनके रिश्तेदारों और मित्रों से पत्र-व्यवहार मध्यप्रदेश जेल मैन्युअल के नियमों 759 से 763 766 से 770, 772 से 782, 675(1) और 676 से 691 सिवाय जहां तक कि वे मध्यप्रदेश बोर्स्टल अधिनियम, 1928 के प्रतिकूल न हों, शासित होगा ।

नियम 28. परिदर्शक समितियों की नियुक्ति तथा पदावधि- मध्यप्रदेश बोर्स्टल अधिनियम, 1928 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक बोर्स्टल के लिए, उस संभाग के आयुक्त के परामर्श पर, जिनमें कि वह संस्था है, एक परिदर्शक समिति नियुक्त की जायेगी । समिति में दस से अधिक सदस्य होंगे, जिनमें तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी । महानिरीक्षक-कारागार, जिला मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर, जिला एव सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर, उप-संचालक उद्योग नरसिंहपुर, तथा अधीक्षक बोर्स्टल संस्था नरसिंहपुर पदेन सदस्य होंगे । महानिरीक्षक कारागार तथा अधीक्षक बोर्स्टल संस्था क्रमश: समिति के अध्यक्ष तथा सचिव होंगे । पदेन सदस्यों को छोड़कर समिति के अन्य सदस्य तीन वर्षो के लिए या उस समय के लिए, जब तक कि उनके उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिए जायेंगे पद धारण करेंगे ।

नियम 29. पैरोल अधिकारियों की नियुक्ति शक्तियां और नियंत्रण- (1) बोर्स्टल संस्था से अनुज्ञप्ति पर उन्मुक्त, प्रत्येक अन्तःवासी पर एक-एक पैरोल ऑफिसर नियुक्त किया जायेगा । उन्मुक्ति के दो मास पूर्व अधीक्षक जिला मजिस्ट्रेट उपयुक्त ऑफिसर की नियुक्ति के लिए, अनुरोध करेगा और उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जहां इस प्रकार उन्मुक्त किया गया अन्तःवासी निवास करेगा, स्थानीय बोर्स्टल संगम यदि कोई हो और उस जिले के प्राधिकारियों की सलाह से जहाँ कि वह निरोध का आदेश दिए जाने के पूर्व निवास कर रहा था, उसकी नियुक्ति की जाएगी जिला मजिस्ट्रेट सभी पैरोल ऑफिसरों की नियुक्तियों को पर्याप्त समय में, सम्बन्धित अन्तःवासी को उसके पैरोल ऑफिसरों की सूचना उनके संस्था से उन्मुक्त किए जाने के पूर्व उनको देने को, अधीक्षक को संसूचित करेगा:

परन्तु यह कि ऐसे जिलों में जहां कि राज्य सरकार द्वारा परिवीक्षा अधिकारी नियुक्त किए गए हैं या राज्य सरकार द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त है, ऐसे परिवीक्षा अधिकारी इन नियमों के अधीन पैरोल ऑफिसर होंगे ।

(2) विलुप्त ।

(3) विलुप्त ।

(4) अपने संरक्षणाधीन के आचरण और कल्याण की देखरेख और सामान्यता उसके स्थानीय अभिभावक के रूप में कार्य करना पैरोल ऑफिसर का कर्त्तव्य होगा । यदि संरक्षणाधीन का आचरण बुरा होता है, तो पैरोल ऑफिसर का उस तथ्य की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को करना कर्त्तव्य होगा ।

नियम 30. परिदर्शक समिति की शक्तियाँ और कर्त्तव्य- (क) परिदर्शक समिति की शक्तियाँ और कर्त्तव्य मध्यप्रदेश जेल मैन्युअल जिल्द एक के भाग दो के अध्याय सत्रह में दिए गए नियमों द्वारा, सिवाय जहां तक कि वे मध्यप्रदेश बोर्स्टल अधिनियम, 1928 के प्रतिकूल हों, शासित होंगी ।

(ख) प्रत्येक संस्था की परिदर्शक समिति अन्तःवासियों की उनुक्ति के लिए सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगी । दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के अधीन अंत:वासियों की उन्मुक्ति के लिए इसके प्रस्ताव कारागार महा-निरीक्षक के माध्यम से सरकार को आदेशार्थ भेजे जायेंगे ।

नियम 31. सामान्य अवकाश- रविवार, गणतन्त्र दिवस, क्रिसमस दिवस, गुड फ्राइडे, तिलक जयंती, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी जयंती, होली, जन्माष्टमी, दिवाली (दो दिन) मुहर्रम दशहरा ईद-उल-फितर, शिवरात्रि, रामनवमी, गुरूनानक जयन्ती, महावीर जयन्ती, गणेश चतुर्थी रक्षाबन्धन, संस्था के लिए सामान्य अवकाश होंगे और उस दिन सिवाय ऐसे जो कि आंतरिक प्रबंध तथा घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक हों, कोई कार्य मंजूर नहीं किया जायेगा ।

नियम 32. निरसन- दि सेंट्रल प्रोविन्सेज एण्ड बरार रूल्स फॉर दि कण्ट्रोल ऑफ मैनेजमेंट इन्स्टीटयूशन्स, जैसे कि वे महाकौशल क्षेत्र में लागू हैं, एतदद्वारा निरसित किए जाते है ।

परंन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई बात या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी नियमों के अधीन दिया गया था या की गई समझी जायेगी ।

टिप्पणी

उपर्युक्त नियमो में जहां कभी शब्द ''मध्यप्रदेश जेल मैन्युअल'' का प्रयोग किया गया है, इन नियमों में मूलत: उनके स्थान पर 'सेण्ट्रल प्रोविन्सेज एण्ड बरार जेल मैन्युअल'' का प्रयोग किया गया ।

नरसिंहपुर बोर्स्टल संस्थान के वासियों को लायसेंस पर रिहा करने संबंधी निर्देश[1]

1. (1) निरीक्षण समिति को प्रत्येक सभा में बोर्स्टल संस्थान का अधीक्षक समिति के समक्ष सभी वासियों को लावेगा जो लायसेंस पर मुक्त किए जाने की अर्हता रखते हो ।

(2) अधीक्षक ऐसी धर्म निरपेक्ष संस्थाओं अथवा धार्मिक समितियों की सूची तैयार करने का प्रबन्ध करेगा जो ऐसे वासियों को भार में लेने के इच्छुक है और उसे ऐसा करने में समर्थ बनाने के लिए वह यदि आवश्यक समझता हो, जिला मजिस्ट्रेट और निरीक्षण समिति के सदस्यों से मशवरा करेगा ।

(3) बोर्स्टल संस्थान का कोई प्राधिकारी ऐसे वासियों को पार पत्र पर प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा । एक व्यक्ति को लायसेंस पर प्रदान किये गये वासियों की संख्या, सरकारी अथवा निजी संस्थानों को छोड्कर, दो से अधिक न होगी, दूसरा उसे लायसेंस तभी दिया जायेगा यदि अन्य कोई उपयुक्त नियुक्ति उपलब्ध न हो ।

(4) किसी वासी को लायसेंस पर छोड़े जाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र बोस्टल संस्थान के अधीक्षक को लिखित में दिया जायेगा । इसमें यह अंकित होना चाहिए कि उसे किसी प्रकार का कार्य करना होगा और उसे कितना दैनिक वेतन देना प्रस्तावित है ।

(5) बोर्स्टल संस्थान का अधीक्षक तदुपरान्त निरीक्षण समिति द्वारा पास किए गए वासियों का विवरण तैयार करेगा और महानिरीक्षक कारागार से स्वीकृति लेगा और समिति की अगली सभा में अपनी कार्यवाहियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(6) **निर्देश-** (1) में सन्दर्भित लायसेंस इन निर्देशों के साथ अनुलग्न प्ररूप "ए" में होंगे ।

(2) जब वासियों को लायसेंस पर भेज दिया गया हो तो बोर्स्टल संस्थान का अधीक्षक संरक्षकों से प्रत्येक तीन माह में रिपोर्ट मांगेगा और इस रिपोर्टो को निरीक्षण समिति को अगली सभा में उनके समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

(3) यदि किसी संरक्षक की रिपोर्ट किसी वासी के सम्बन्ध में असंतोषजनक हो और यदि निरीक्षण समिति अन्य कारणों से ऐसा करना उचित समझती है तो महानिरीक्षक कारागार की स्वीकृति के साथ लायसेंस को किसी भी समय निरस्त कर सकती है । तदुपरान्त बोर्स्टल संस्थान का अधीक्षक ऐसे जिले के जिला मजिस्ट्रेट के साथ जिसमें वासी लायसेंस के अन्तर्गत है, वासी को बोर्स्टल संस्थान में वापिस लाने के लिए व्यवस्था करेगा ।

(4) मूल लायसेंस संरक्षक को सौप दिया जावेगा और एक प्रति उस वासी को सौंप दी जावेगी जिससे सम्बन्धित हो । लायसेंस रजिस्टर बोर्स्टल संस्थान के अधीक्षक द्वारा रखा जावेगा ।

(5) लायसेंस पर अनुपस्थित वासियों को बोर्स्टल वस्त्र पहनने की छूट दी जावेगी ।

(6) यह किसी भी संरक्षक को नोटिस देना बोर्स्टल संस्थान के अधीक्षक का कर्त्तव्य रहेगा-

(अ) जब किसी वासी का लायसेंस निरस्त कर दिया गया हो अथवा समाप्त होने वाला हो ।

(ब) जब ऐसी अवधि जिसके लिए उसे परिरूद्ध किया गया है समाप्त होने वाली है ।

1. म. प्र. जेल विभाग नोटिफिकेशन न 21-111-जेल दि. 27-2-1960.

(7) किसी संरक्षक के अनुसरण में से किसी लायसेंस अन्तर्गत वासी के भागने पर, सरंक्षक जिला मजिस्ट्रेट और जिला अधीक्षक और ऐसे बोर्स्टल संस्थान के अधीक्षक, जिससे वासी सम्बन्ध रखता हो, को तुरन्त प्रदान करेगा ताकि वासी के पुन: पकड़े जाने के सम्बन्ध में और उसकी सुधारक संस्थान को वापिसी के लिये तुरन्त कदम उठाये जा सके । कोई भी वासी जो लायसेंस के दौरान होने पर भागता है तो उसे सुधारक संस्थान के बाहर आगे की परिरोध अवधियों के दौरान कार्य पर नहीं लगाया जावेगा और न ही उसे किसी व्यक्ति को लायसेंस पर दिया जावेगा ।

(8) उपरोक्त प्रकार के लायसेंस पर दिये गये व्यक्ति नरसिंहपुर शहर से बाहर को छोड़कर महानिरीक्षक के वार्षिक निरीक्षण में सम्मिलित होंगे ।

प्रपत्र "ए"

म. प्र. बोर्स्टल विधि, 1928 की धारा 14 के अन्तर्गत बोर्स्टल संस्थान के वासियों को अनुज्ञप्ति पर मुक्त करने सम्बन्धी परिपत्र

जबकि--वर्तमान में, बोर्स्टल संस्थान---------- में---------- द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक के वारन्ट के अन्तर्गत परिरूद्ध है ।

और जबकि कथित----------ने अधीक्षक कि के अनुसार आचरण किया है और जबकि----------एक विश्वसनीय एवं सम्माननीय व्यक्ति, धर्म क्ष संस्था-धार्मिक समिति कथित------- का भार ग्रहण करने एवं स्वीकार करने के लिये इच्छुक है ।

इस प्रकार अब वर्तमान उपस्थित साक्षी है कि कथित----------कों------- के भारसाधन में रहने के लिए अनुज्ञप्ति दी जाती है इस दिनांक से जिसके पृष्ठ भाग पर अंकित शर्तो के अधीन और रिहाई ----------दिनांक को हुई ।

हस्ताक्षर

दिनांक----------

अधीक्षक सुधार संस्थान

निम्नलिखित शर्ते जिनके अधीन सुधारक संस्थान के वासियों को लायसेंस पर छोड़ा जाता है |

नोट- शब्द "संरक्षक" इन निर्देशों में सन्दर्भित करता है व्यक्ति धर्म, निरपेक्ष संस्था अथवा धार्मिक समिति जो लायसेंस पर उल्लेखित हो ।

(i) वासी किसी ऐसे कार्य पर नहीं लगाया जायेगा जो उसके धर्म के विरूद्ध हो ।

(ii) संरक्षक, वासी के रहने, पहनने एवं रख-रखाव का प्रबन्ध करेगा अथवा ऐसा धन अदा करेगा जो कि वासी के भोजन, कपड़ों एवं मकान किराये, यदि उससे रहने के लिए संरक्षक कि इच्छानुसार स्थान किराये पर लेना वांछनीय हो, पर्याप्त हो अदा करेगा ।

(iii) लायसेंस, वासी की सजा अवधि के बिना गुजरे भाग के दौरान लागू रहेगा, लेकिन किसी भी समय निम्न के दौरान निर्धारित किया जावेगा- (अ) वासी के भाग पर असन्तोषजनक कार्य अथवा आचरण;

(ब) संरक्षक की मृत्यु अथवा उसका व्यवसाय बन्द हो जाना;

(स) उस समिति अथवा संस्था का समापन जिसको वासी लायसेंस पर दिया गया है ।

(द) वासी अथवा संरक्षक की प्रार्थना ।

(iv) निरीक्षण समिति द्वारा महानिरीक्षक कारागार की संस्कृति पर लायसेंस निरस्त किया जावेगा, यदि संरक्षक द्वारा वासी से दुर्व्यवहार किया गया हो अथवा उसके रहने अथवा रख-रखाव कि अपर्याप्त व्यवस्था की गई हो, अथवा अन्य समुचित कारणों से ।

(v) संरक्षक वासी की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, परन्तु यह अपेक्षित किया जाता है कि वह वासी को प्रसन्न एवं आराम पूर्वक रखने के प्रत्येक प्रयत्न करेगा ताकि वासी उसकी सुरक्षा को छोड़ने की इच्छा न करे । इस कारण से यह वांछनीय है कि रहने कि व्यवस्था आदि यदि सम्भव हो तो संरक्षक के स्वयं के स्थान पर कि जावे ।

(vi) संरक्षक वासी द्वारा किए गए कार्य के लिये बाजार दर पर मजदूरी देगा, प्रथमतया वासी के अप्रशिक्षित मजदूरी कि निम्नत: को स्वीकारते हुए अथवा ऐसा धन जो महानिरीक्षक कारागार द्वारा समय-समय पर उसके पहनने के कपड़े अथवा रख-रखाव के खर्चो के अतिरिक्त निश्चित किया जावे ।

(vii) कोई मजदूरी जो वासी उसके पहनने एवं रख-रखाव की लागत को कवर करने के ऊपर एवं अधिक प्राप्त करता है अथवा ऐसा धन जो महानिरीक्षक कारागार द्वारा लायसेन्स कि शर्त क्रमाक (i) से अन्तर्गत निश्चित किया गया है, बोर्स्टल संस्थान के अधीक्षक को प्रतिमाह भेजा जायेगा । धनराशि वासी के खाते में जमा कि जावेगी और उसकी परिरोध अवधि समाप्त होने पर उसी को भेजी जायेगी । अधीक्षक को शक्ति प्राप्त है कि वह वासी को मासिक रूप से ऐसी राशि जेब खर्च के लिये दे, जैसी वह प्राप्त मजदूरी में से उचित समझे ।

(viii) यदि कोई वासी संरक्षक के भार में से भाग जाता है तो संरक्षक जिला मजिस्ट्रेट जिला पुलिस अधीक्षक एवं सुधारक संस्थान के अधीक्षक को लिखित में तुरन्त सूचना देगा ।

(ix) कोई भी वासी जो संरक्षक के भार में से भाग जाता है वह किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारण्ट के गिरपतार किया जा सकेगा ।